कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/22407/2017–18/ 43 दिनांक : 16/03/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषय :– Implemtatopm of guidelines on gender champions in school.

प्रसंग :– उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक पं. 10(1)शिक्षा–6/2017 जयपुर, दिनांक 07.02.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि छात्र–छात्राओं में जेण्डर सोशियलाईजेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि उनके व्यवहार सकारात्मक परिवर्तन हेतु प्रयास किए जाने आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में इस प्रकार इस कार्य को रूप देने के लिए जेण्डर चैंपियन की परिकल्पना की गई है। यह जेण्डर चैंपियन अपने विद्यालय में छात्राओं के प्रति गरिमा एवं सम्मान देने के वातावरण निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हुए उनके प्रति गरिमामय एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये जेण्डर चैंपियन भारतीय संविधान की धारा 15 के अन्तर्गत दी गई लिंग समानता को बढ़ाने का कार्य करेंगे।

विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य :

1. **नोडल शिक्षकों की नियुक्ति :–**

   विद्यालय में छात्र संख्या के आधार पर नोडल शिक्षकों की नियुक्ति करना। ये नोडल शिक्षक जेण्डर चैंपियन्स को विभिन्न गतिविधियों हेतु सहायता देंगे। इनके कर्तव्य व जिम्मेदारी संलग्न गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार रहेगी।

2. **जेण्डर चैंपियन्स की योग्यताः–**

   प्रत्येक विद्यालय में जेण्डर चैंपियन्स का चयन किया जाना है। ये जेण्डर चैंपियन्स विद्यालय में पढने वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी हो सकते है। इन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हो। जेण्डर चैंपियन्स नेतृत्व गुणों से युक्त, कुशलवक्ता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक तथा जेण्डर के मुद्दों पर अच्छी समझ रखने वाले होने चाहिए।

3. **जेण्डर चैंपियन्स की भूमिका एवं जिम्मेदारीः–**

   जेण्डर चैंपियन्स को बनाने का उद्देश्य युवा बालक–बालिकाओं को जेण्डर संवेदनशील बनाना तथा बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागृत करना है। ये चैंपियन अपने पीयर ग्रुप के मध्य सभी चर्चा वाद–विवाद या अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से जेण्डर संवेदनशीलताओं को प्रेरित करने का कार्य करेंगे। इनके अन्य भूमिका व जिम्मेदारी संलग्न गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार रहेगी।

4. **जेण्डर चैंपियन्स का चयनः–**

   जेण्डर चैंपियन्स का चयन संस्था प्रधान द्वारा उनकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता तथा ईमानदारी जैसे आवश्यक नेतृत्व गुणों को ध्यान में रखकर किया जाना है। चयन के लिए गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 06 में अंकित प्रावधानों का आवश्यक रूप से ध्यान में रखे जाए। इनका चयन एक वर्ष या संस्था प्रधान के निर्णयानुसार इससे भी अधिक समय के लिए किया जा सकता है।

5. **वार्षिक गतिविधि क्लेन्डरः–**

जेण्डर चैंपियन और नोडल टीचर मिलकर वर्ष पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों का क्लेन्डर निर्धारित करेंगे। यह गतिविधि क्लेन्डर जेण्डर चैंपियन की भूमिका एवं जिम्मेदारी में वर्णित कार्यों के आधार पर तैयार किया जावें।

6. **जेण्डर चैंपियन्स का प्रशिक्षणः–**

जेण्डर चैंपियन को सशक्त एवं शक्तिशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाएगे। ये प्रशिक्षण विद्यालयों में विशेषज्ञों द्वारा दिए जाएगे। केन्द्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस हेतु ट्रैनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। शेष गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार ।

7. **प्रबोधनः–**

संस्था प्रधान जेण्डर चैंपियन्स के नाम एवं दूरभाष नंबर अपने पास रखेंगे। जेण्डर चैंपियनस द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का रिकॉर्ड रखेंगे तथा उसके आधार पर संलग्न गाईड लाईन के **Annexure II** में तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की रिपोर्ट 25 तारीख तक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले की समेकित रिपोर्ट प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे अधीनस्थ विद्यालयों में लागू करावें।

संलग्न – यथोपरि ।

16/5/19

(मूल चन्द मीना)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संस्था प्रधान , मावि/उमावि को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में उक्त को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर